

13 उरियर्स पर धारा 89 (i) के तहत राहत की गणना

Calculation of Relief U/S 89(i)

कर्मचारियों को प्रायः नये वेतनमान लागू होने पर बकाया राशि (Arrears) प्राप्त होती है, जो पिछले वर्षों में देय होती है। एक साथ अधिक एरियर्स मिलने से उस वर्ष की करयोग्य आय बढ़ जाती है। और प्रायः कर्मचारियों को एरियर्स के कारण अधिक दर से (Slab Difference के कारण) आयकर देना पड़ जाता है। जबकि दर से नए वेतनमान लागू करने में कर्मचारी की कोई गलती नहीं होती है, अतः शासन ने अधिक आयकर की देयता से बचने के लिए कर्मचारियों को विकल्प दिया है, कि वे चाहे तो संबंधित वर्ष में लागू आयकर की दर से, इस वर्ष प्राप्त बकाया राशि पर आयकर दे सकतें हैं। इस प्रकार के कर में राहत की गणना निम्नानुसार की जाती है।

पहले बकाया राशि पर इस वर्ष में लागू आयकर की दर से लगने वाले टैक्स (X) की गणना की जाती है, फिर बकाया राशि पर पिछले संबंधित वर्ष में लागू आयकर की दर से देय (Due) टैक्स (Y) की गणना की जाती है। इन दोनों टैक्स के अंतर (X-Y) को ही धारा 89 के तहत राहत (Relief) कहतें हैं। सर्वप्रथम एरियर्स को वर्षवार (जिनके विरुद्ध प्राप्त हुआ है) विभक्त कर लें। संबंधित वर्ष के कुल कर योग्य आय (Total Income) व धारा 80C के तहत देय (Due) छूट की जानकारी अलग से निकाल लें तथा संबंधित वर्ष के आयकर की दरें भी मालूम कर लें।

अब फार्म 10E के टेबल A व एनेक्सर-1 में चाही गई जानकारी भरकर 89 के राहत की गणना की जाती है:-

- बिना एरियर्स जोड़े इस वर्ष में प्राप्त वेतन के अनुसार कुल आय (Total Income) की गणना करें A
- अब एरियर्स (Arrears) के रूप में प्राप्त राशि को लिखें B
- अब इस वर्ष के प्राप्त कुल आय (A) में एरियर्स (B) को जोड़कर
एरियर्स सहित कुल आय की गणना करें C
- एरियर्स सहित कुल आय (C) पर टैक्स की गणना करें D
- एरियर्स रहित कुल आय (A) पर टैक्स की गणना करें E
- अब कंडिका 4 व 5 में प्राप्त टैक्स के अंतर (X=D-E) की राशि का आंकलन करें। यह इस वर्ष लागू आयकर की दरों के अनुसार बकाया राशि पर लगने वाले कर की राशि होगी। X
- अब यह मानते हुए कि यदि, बकाया राशि संबंधित वर्ष में ही प्राप्त हो जाती तो उसी वर्ष में लागू आयकर की दरों के अनुसार कितना अतिरिक्त टैक्स बकाया राशि के कारण देना होगा, की गणना करें। इसके लिए फार्म 10 (E) के टेबल (A) के निर्धारित कालम के प्रविष्टियों कर गणना की जा सकती है Y
- अब (X-Y=Z) की गणना करें यही धारा 89 तहत राहत (Relief) की राशि होगी, जिसे इस वर्ष की कर देयता (Tax Liability) से घटाया जावेगा। Z

mnkgj.k 5- ekuk ,d depkj v'kkd 'kek dk o"k 2016&17 e fuEku[kj oru iklr gvk &

(1) मूल वेतन (Basic)	2,90,000	निम्नानुसार निवेश किया गया	
(2) मंहगाई भत्ता (DA)	2,66,000	* बच्चों के शिक्षण शुल्क (Tuition fees)	7,250
(3) मकान किराया भत्ता (HRA)	15,000	* बैंक में किया गया एफ.डी (Bank Fixed Dep.)	20,000
(4) वाहन भत्ता (TA)	19,200	* भविष्य निधि में अंशदान (GPF)	48,000
(5) ग्रेड पे (Grade Pay)	63,800	* जीवन बीमा की अन्य योजनाओं में प्रीमियम (LIC)	60,000
(6) बकाया राशि (ARREARS)	75,000		
(7) कुल वेतन (Total Salary)	7,29,000		

जिसमें से अशोक शर्मा ने रु. 60,000 मकान किराए तथा रु. 2,500 प्रोफेशनल टैक्स रूप में भुगतान किए। गृह ऋण के मूलधन के रूप में रु. 13,000 भुगतान किया गया तथा गृह ऋण पर वर्ष 2016-17 में ब्याज रु. 36,000 देय (ACCURED) होता है। जिसका वास्तविक में भुगतान नहीं किया गया है। NSC पर वर्ष 2016-17 में 1750 ब्याज देय हुआ, दान 800 रु., तथा बैंक से जमा राशि पर 1,200 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। कुल बकाया राशि से रु. 75,000 निम्नानुसार प्राप्त हुई :

क्र	बकाया राशि जिस वर्ष में देय थी	बकाया राशि	संबंधित वर्ष की कुल कर योग्य आय	अतः उपरोक्त आंकड़ों से एरियर्स पर धारा 89(i) के तहत राहत की गणना करते हुए वर्ष 2015-16 में भुगतान योग्य आयकर की गणना करे।
1	2007-08	35,000	1,05,850	
2	2008-09	12,500	1,45,230	
3	2009-10	13,250	1,55,250	
4	2010-11	14,250	1,65,450	

30 | उचित इन्कमटैक्स की गणना कैसे करें ?

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कर योग्य आय एवं आयकर का गणना पत्रक					
नाम - अशोक कुमार	पिता का नाम - श्री के. शर्मा	पद - सहायक शिक्षक	स्थान - नागपुर		
A: वेतन मद से प्राप्त आय कुल प्राप्तियाँ				सकल आय	
1. मूल लेतन	2,90,000	5. वाहन भत्ता	19,200		
2. ग्रेड वेतन	63,800	6. एल. टी. सी.	0		
3. मंहगाई भत्ता	2,66,000	9. बकाया राशि (गतवर्ष)	75,000		
4. गृह भाड़ा भत्ता	15,000	10. सकल वेतन		7,29,000	
11. योग : धारा 17(2) आयकर से परिलब्धियों का निर्धारण			0		
12. घटाये : धारा 10 के तहत कर मुक्त भत्ते				(-) 34,200	
(a) एल.टी.सी. वाहन भत्ता					
	19,200		19,200		
(b) घटाये : धारा 10(13A) एवं नियम 2A के तहत गृह भाड़ा भत्ता				15,000	
(i) वास्तविक प्राप्तियाँ	15,000				
(ii) किराया भुगतान - 10% (वेतन + मंहगाई भत्ता+ग्रेड पे)					
	(60000-35980)	24,020			
(iii) वेतन का 40/50% (वेतन + मंहगाई भत्ता+ग्रेड पे)	1,67,920				
13. घटाये : धारा 16(iii) के तहत वृत्ति कर				2500	(-) 2,500
14. वेतन शीर्ष के तहत आय (Income from salary head)				6,92,300	
B : मकान संपत्ति से प्राप्त आय (Income from house property)				(-) 36000	
1. धारा 24 के तहत गृह ऋण पर देय ब्याज				36000	
C : अन्य स्रोतों से प्राप्त आय (Income from other sources)				2,950	
i. बैंक /पोस्ट आफिस के प्राप्त ब्याज	1200				
ii. राष्ट्रीय बचत पत्र	1750				
D : व्यापार शीर्ष से प्राप्त आय (Income from business)				Nil	
E : पूंजी लाभ शीर्ष से प्राप्त आय (Income from capital gain)				Nil	
F : सकल कुल आय (Gross total income)				6,59,250	
G : चैप्टर VIA के तहत कटौतियाँ					
i. धारा 80C : निम्नलिखित योजना में करदाता द्वारा किया गया निवेश	सकल राशि				
i. भविष्य निधि खाता / पीपीएफ	48000				
ii. एल.आई.सी. + जी.आई.एस + पी.एल.आई. + यूलिप	60000				
iii. एन.एस.सी. से प्राप्त ब्याज	1750				
iv. शिक्षण शुल्क	20000				
v. गृह ऋण के मुलधन का पुर्नभुगतान	13000				
vi. अन्य	7250			150000	
iii. U/S 80CCD : नियोक्ता /करदाता का केंद्रिय पेंशन फण्ड में अंशदान				0	
iv. घटाये : धारा CCE (i+ii+iii) के तहत अधिकतम 1,50,000 तक कटौती	1,50,000			1,50,000	
V. U/S TTA: : बचत खाता पर प्राप्त व्याज				1200	योग
vi. धारा 80 G : दान				800	1,52,000
H : कुल आय (करयोग्य) (Total income) (10 गुणन के तहत ROUNDED OFF)				5,07,250	
I. कुल आय पर कर (कर की गणना)					
i. प्रथम रु. 2,50,000	NIL	0			
ii. अगले रु. 250001-358450	10%	10,725			
iii. अगले रु.	20%	0	कुल कर	10,725	
J. भुगतान योग्य कर (Tax payable)				26,450	
K. घटाये : धारा 87A के तहत आयकर से छूट				0	
L. शिक्षण शुल्क 3 %				794	
M. घटाये : धारा 89(i) के तहत राहत				(-) 4214	
N. शुद्ध भुगतान हेतु कर (J+K+L -M)				23,030	



www.abcpublishing.in

प्रपत्र No. 10 E

धारा 89(i) के तहत सरकारी कर्मचारियों को धारा 192(2A) के तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राहत प्राप्त करने के लिये

- कर्मचारी का नाम एवं पता _____ अशोक शर्मा
 - परमानेंट अकाउण्ट नंबर _____ आवेदित
 - निवास स्थिति _____ व्यक्तिगत
- Particulars of Income referred to the rule 21A of the Income Tax Rules 1962 during the previous year relevant to assessment year 2013-2014
- आयकर नियम 1962 के तहत पूर्ववर्ती वर्ष निर्धारण वर्ष 2014-15 से संबंधित नियम 21ए के तहत आय का विवरण
- (a) 21A(2) के प्रावधान के अनुसार बकाया वेतन की आय Rs 75,000
 - (b) नियम 21A(3) के प्रावधान के अनुसार ग्रेजुटी के मद में भुगतान Rs Nil
 - (c) नियम 21A(4) के प्रावधान के अनुसार संयुक्त के तहत भुगतान की गई राशि Rs Nil
 - (d) नियम 21(5) के तहत कम्प्यूटेशन पेंशन का भुगतान Rs. Nil
2. नियमानुसार उपरोक्त भुगतान का विवरण जैसा संलग्नक में दिया गया है।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं अशोक शर्मा, एतद्-द्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे संपूर्ण जानकारी एवं विश्वास के द्वारा दी गई है।

आज दिनांक 31 मार्च 2013 को प्रमाणित की गई
स्थान : नागपुर दिनांक 31/03/2017

कर्मचारी के हस्ताक्षर

TABLE A

पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष)	पूर्व वर्ष से संबंधित कुल आय	पूर्व वर्ष से संबंधित वेतन की बकाया राशि	बकाया राशि के कारण बढ़ी हुई आय	कालम 2 के तहत कुल आय पर कर	कालम 4 के तहत कुल आय पर कर	कर में अन्तर की राशि
1	2	3	4 = (2+3)	5	6	7=(6-5)
2007-08	1,05,850	35,000	1,40,850	0	3178	3178
2008-09	1,45,230	12,500	1,57,730	0	796	796
2009-10	1,55,250	13,250	1,68,500	0	876	876
2010-11	1,65,450	14,250	1,79,700	561	2029	1468
	योग	75,000			योग	6138

ANNEXURE - 1 एरियर्स वेतन

- कुल आय (बकाया वेतन प्राप्ति को छोड़कर) 4,32,000
- बकाया वेतन प्राप्ति (कुल) 75,000
- कुल आय (बढ़ी हुई बकाया वेतन राशि के मद में प्राप्त आय) (आइटम दो के अनुसार) 5,07,000
- कुल आय पर कर (आइटम तीन के अनुसार), 3% शिक्षण उपकर सहित 27,243
- कुल आय पर कर (आइटम एक के अनुसार), 3% शिक्षण उपकर सहित 16,711
- बकाया रूप में वेतन प्राप्ति पर कर (4-5) 10,532
- कर योग्य आय टेबल ए के अनुसार (कालम 7 के अनुसार) 6,318
- धारा 89(i) के तहत राहत (कालम 6 & 7 के अन्तर की राशि) 4,214

दिनांक : 31/03/2017

कर्मचारी के हस्ताक्षर

स्थान : नागपुर

नाम

अशोक शर्मा

धारा 89(i) के तहत छूट की कंप्यूटराइज्ड गणना की सुविधा हमारे नागपुर, रायपुर कार्यालय में उपलब्ध है।
पता : नागपुर - 207, NIT काम्प्लेक्स, व्हेरायटी चौक, सीताबर्डी, फोन - 9373100088, 2520011
रायपुर - 84, प्रथम तल, जयराम कांफ्लेक्स, शारदा चौक, फोन-7771837771